

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज०)

पत्र संख्या :- 250 / 2022
S NO :- 2022/459

दायर दिनांक: 31.10.2022
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

कनिजा बानो पत्नी कमरुद्दीन जाति मुसलमान तेली नि० मरां-

प्रार्थीया

बनाम

भू-स्वामी तहसीलदार साहब तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थिति:-

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 22.04.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का मरां में खसरा नम्बर 447 / 277 रकबा 0.4854 हैक्टर, खसरा नम्बर 450 / 277 रकबा 1.6180 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.1034 हैक्टर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में कनिजा बानो पत्नी कमरुद्दीन हि० पूर्ण जाति मुसलमान सा० मरां खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर पडोसीयों द्वारा कब्जा करने का अंदेशा होना तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान मय पुलिस इमदाद कराने का निवेदन किया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये हैं।

प्रार्थना के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवाँ से पत्थरगढी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीया के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। साथ ही बताया कि उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है एवं खातेदार ने कब्जा काश्त के रूप में उक्त भूमि का उपभोग भी नहीं किया है तथा बिना सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाया जाना संभव नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि की खातेदार तो है लेकिन उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवाँ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का मरां में खसरा नम्बर 447 / 277 रकबा 0.4854 हैक्टर, खसरा नम्बर 450 / 277 रकबा 1.6180 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.1034 हैक्टर भूमि का बाद सीमाज्ञान यदि प्रार्थीया को भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ